

भाग-5

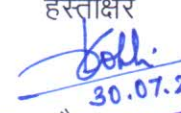
(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, हमीरपुर द्वारा जनपद हमीरपुर में बिलरायों-पनवाड़ी मार्ग (राज्य राजमार्ग-21) के चैनेज 430.00 से 442.100 तक 4-लेन चौड़ीकरण एवं सुद्वितीकरण में प्रभावित 29.880 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 1885 वृक्षों/पौधों के पातन एवं जनपद महोबा में बिलरायों-पनवाड़ी मार्ग (राज्य राजमार्ग-21) के चैनेज 442.100 से 448.680 तक 4-लेन चौड़ीकरण एवं सुद्वितीकरण में प्रभावित 11.844 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 619 वृक्षों/पौधों के पातन, कुल योग 41.724 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 2504 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

(प्रस्ताव स०-एफ.पी./यू.पी./रोड/41969/2019)

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-56/81-2-2020-800(63)/2020, दिनांक 30 जुलाई, 2020 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत ।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर
(
30.07.2020
नाम और पद (डॉ० दीपक कोहली)
सरकारी मसुदा सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उ० प्र० शासन।